

संख्या ३३। / २०१२ / १४१(१२०) / XXVII(8) / ०८

प्रेषक,

राधा रत्नडी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभाग: वित्त (अनुभाग-८)

देहरादूनः दिनांकः १७ अप्रैल, २०१२

महोदया,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र सं० ७९८८ दिनांक २४ फरवरी, २०१२ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा रोड साइड ढाबा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में अपने कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैन्टीनों एवं रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइन्ट्स, जिनकी वार्षिक विक्री ₹ ५० लाख तक की सीमा के अन्तर्गत है, और जो गैर वातानुकूलित हैं, के सम्बन्ध में दिनांक ०१-०४-२०१२ से ३१-०३-२०१५ तक की अवधि के लिये मूल्य वर्धित कर अधिनियम, २००५ की धारा ७(२) में देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान राशि योजना लागू किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा उक्त अवधि के लिये समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना से सम्बन्धित शासन के निर्देश, प्रार्थना पत्र एवं शपथ-पत्र के प्ररूप आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया इन योजनाओं का अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राधा रत्नडी)
सचिव, वित्त।

रोड साइड ढाबा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में अपने कर्मचारियों के लिये चलाने वाली कैन्टीनों एवं रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइन्ट्स, जिनकी वार्षिक बिक्री ₹ 50 लाख तक की सीमा के अन्तर्गत है, और जो गैर वातानुकूलित है, के लिये मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 (2) के अन्तर्गत देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान राशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासन के दिशा निर्देश :-

1— यह योजना स्वैच्छिक है और योजना का लाभ योजना अपनाने वाले करदाताओं द्वारा शर्त पूर्ण करने पर ही अनुमन्य होगा।

2— उक्त योजना दिनांक 01-04-2012 से दिनांक 31-03-2015 की अवधि के लिये लागू होगी।

3— इस योजना का लाभ केवल ऐसे रोड साइड ढाबा व्यवसाइयों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में अपने कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैन्टीनों रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइन्ट्स को अनुमन्य होगा जिनकी वार्षिक बिक्री ₹ 50 लाख की सीमा के अन्तर्गत है और जो गैर वातानुकूलित है।

4— योजना अपनाने वाले करदाता द्वारा अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष संलग्न प्रारूप 1 में अपना प्रार्थना पत्र योजना लागू होने के एक माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। नया व्यवसाय आरम्भ करने वाले व्यवसायी भी व्यवसाय आरम्भ करने के एक माह के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

5— प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रारूप 2 में एक शपथ पत्र भी योजना लागू होने के एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

6— प्रार्थना पत्र समय से उपलब्ध न कराने की स्थिति में विलम्ब क्षमा का अधिकार आयुक्त कर को होगा।

7— यह योजना केवल ऐसे रोड साइड ढाबा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में अपने कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैन्टीन एवं रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइन्ट्स सम्बन्धी व्यवसायियों को ही अनुमन्य होगी जिनके द्वारा प्रान्त के बाहर से अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में कोई आयात नहीं किया जाता है और जिनके प्रतिष्ठान गैर वातानुकूलित हैं। योजना खुलत्पादित उत्पाद यथा पका भोजन, नाश्ता आदि के लिए ही अनुमन्य होगी।

8— इस योजना का लाभ केवल ऐसे गैर वातानुकूलित रेस्टोरेन्ट्स/फूड जाइन्ट्स जिनकी वार्षिक बिक्री ₹ 50 लाख तक और जो किसी होटल/मोटल/टूरिस्ट कॉम्प्लैक्स/गेस्ट हाऊस व रिसोर्ट के परिसर में स्थित या उसके अंग नहीं है एवं जिनके यहाँ Temperature Control Device यथा Air conditioning, Heating आदि की सुविधा नहीं है व जिनके यहाँ ग्राहकों को बैठने के लिये 40 सीट तक की ही व्यवस्था है, अनुमन्य होगी।

9— इस योजना को अपनाने वाले व्यवसायियों को पृथक से कर वसूलने का अधिकार नहीं होगा और नहीं इन्हें इनपुट टैक्स का लाभ देय होगा।

10— योजना अपनाने वाले करदाता द्वारा अपने ढाबा/औद्योगिक प्रतिष्ठान/ कैन्टीन की सकल बिक्री (मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 में वर्णित वस्तुओं की बिक्री

को छोड़कर) पर 4 प्रतिशत की दर से देय राशि के समतुल्य समाधान राशि के रूप में त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक त्रैमास के अन्त में अगले माह की 25 तारीख तक अपने रूप पत्र सहित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में जमा करानी होगी।

11— यह योजना केवल एक स्वामित्व के अन्तर्गत आने वाले एक प्रतिष्ठान को ही अनुमन्य होगी।

12— योजना अपनाने वाले करदाताओं के व्यवसायिक प्रतिष्ठान की आवश्यकतानुसार करनिर्धारण अधिकारी के स्तर से जांच की जायेगी और यदि योजना की शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो करनिर्धारण अधिकारी तत्काल इसकी सूचना अपने ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) को उपलब्ध करायेंगे और ऐसे करदाता के सम्बन्ध में योजना को चालू रखने अथवा समाप्त करने का अधिकार सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) का होगा जिनका निर्णय अन्तिम होगा। ज्वाइन्ट कमिशनर योजना रद्द करने सम्बन्धी आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित करदाता को सुनवाई का अवसर देंगे। योजना से बाहर होने पर सम्बन्धित करदाता के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सामान्य कर निर्धारण आदि की कार्यवाही की जायेगी।

13— औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में चलाई जा रही कैन्टीन की बिक्री की सत्यता की जांच सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान/कार्यालय से भी की जा सकेगी।

14— ऐसे करदाता जिन्होंने योजना की शर्तों का अनुपालन किया हो और जिनके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त न हुई हो को पृथक से करनिर्धारण हेतु कार्यालय आने की आवश्यकता न होगी।

(राधा रतौड़ी)
सचिव, वित्त।

प्रारूप-1

रोड़ साइड ढाबा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में अपने कर्मचारियों के लिये चल जाने वाली कैन्टीनों एवं रेस्टोरेन्ट / फूड ज्वाइन्ट्स, जिनकी वार्षिक बिक्री ₹ 50 लाख तक की सीमा के अन्तर्गत है तथा जो गैर वातानुकूलित हैं, के लिये मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 (2) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र

सेवा में,

करनिर्धारक प्राधिकारी,

खण्ड.....

मण्डल / उपमण्डल...

महोदय,

मैं फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 मेंकार्यालय.....द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या.....दिनांक.....से प्रभावी किया गया है तथा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए करनिर्धारक प्राधिकारी खण्ड.....मण्डल / उपमण्डल.....के कार्यालय में दिनांकको प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी / साझीदारहूँ। मैंने रोड़ साइड ढाबा व्यवसाइयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों / कार्यालयों में अपने कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैन्टीनों एवं रेस्टोरेन्ट / फूड ज्वाइन्ट्स व्यवसाय के सम्बन्ध में वर्ष 2012–2013, 2013–2014 एवं 2014–2015 तक की अवधि में की गयी बिक्री पर देय कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) में एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है, अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भलीभांति समझ लिया है। उक्त निर्देशों की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं। उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा पके हुए भोजन, नाश्ता आदि की वर्ष 2012–2013, 2013–2014 एवं 2014–2015 में की गयी बिक्री पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र / अनुबन्ध के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से एकमुश्त देय समाधान धनराशि को त्रैमासिक आधार पर बिक्री के रूपपत्र सहित जमा करने का निवेदन करता हूँ। एकमुश्त धनराशि को शपथ पत्र / अनुबन्ध में दी गयी शर्तों के अनुसार जमा करुंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी भी कारण से मेरा यह शपथ पत्र / अनुबन्ध वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा। दिनांक 01–04–2012 को कैन्टीन / रेस्टोरेन्ट / व्यापारिक प्रतिष्ठान की स्थिति निम्नप्रकार है—

क्र०सं०	विवरण
1.	स्थान की उपलब्धता
2.	कुर्सियाँ
3.	मेज
4.	फिज
5.	पंखे
6.	कार्यकर्ता

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरा उक्त प्रतिष्ठान वातानुकूलित नहीं है तथा
व्यवसाय चलाने हेतुक्षमता का बिजली का कनैक्शन प्राप्त किया है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

प्रास्थिति.....

प्रामाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ।
यह फर्म.....के स्वामी / साझीदार.....हैं, तथा इस प्रार्थना पत्र
पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रामाणीकरण करने वाले व्यक्ति के

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

प्रारूप-2 :-

समक्ष करनिर्धारक प्राधिकारी,
खण्ड.....
मण्डल / उपमण्डल.....

मैं पुत्र श्री आयु लगभग वर्ष,
स्थायी निवासी (पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि—

1. मैं, फर्म सर्वश्री..... जिसका मुख्यालय.....(पूरा पता) पर स्थित है का स्थायी / साझीदार.....(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।
2. मेरे फर्म का मुख्यालय, पूरा पता तथा निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण निम्नप्रकार है:-

1— मुख्यालय

उत्पाद

3. उक्त कैन्टीन/रेस्टोरेन्ट/रोड साइड ढाबा में होने वाली की बिक्री पर देय करके स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तों तथा आयुक्त कर उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी-पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है, तथा सभी निर्देश, शर्तों आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।
4. यदि मेरे द्वारा फर्म की ओर से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है तब समाधान धनराशि मेरी फर्म द्वारा त्रैमासिक आधार पर रूपपत्र सहित कुल बिक्री (मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I में वर्णित वस्तुओं की बिक्री को छोड़कर) पर 4 प्रतिशत की दर से जमा की जायेगी।
5. हमारा / मेरा प्रतिष्ठान नया अथवा दिनांक से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-3 की उपधारा (7) के खण्ड (ल.) (ii) के अन्तर्गत विघटन के कारण पुनर्गठित हुआ है और इसमें दिनांक से बिक्री प्रारम्भ हुई है / होगी। इस पर देय समाधान राशि मैं आयुक्त कर के निर्देशानुसार जमा करूगा।

6. यदि वित्तीय वर्ष 2012–2013, 2013–2014 एवं 2014–2015 के लिये मेरा धारा—7 की उपधारा (2) में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र/अनुबन्ध के अनुलग्नक—1 में दी गयी शर्तों का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा आयुक्त कर द्वारा लगायी गयी शर्तों/ प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिए बाध्य होगी। दिये गये निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तों के अनुपालन न किए जाने की दशा में उत्तराखण्ड शासन तथा वाणिज्य कर विभाग, उल्लिखित कार्यवाहियाँ मेरी फर्म के विरुद्ध कर सकेगा।

7. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त व्यापार के सम्बन्ध में न तो प्रान्त के बाहर से आयात किया जायेगा और नहीं मेरे द्वारा पृथक से कर वसूला जायेगा।

हस्ताक्षर.....

पूरा पता.....

प्रास्थिति.....

घोषणा

मैंउपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र अनुबन्ध के प्रस्तर—1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

प्रास्थिति.....

साक्षी के हस्ताक्षर.....

नाम एवं पता.....

तिथि एवं स्थान.....